



-:प्रेस नोट:-

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 20.08.2026

- ❖ आवेदक के पास साइबर ठग द्वारा रिश्तेदार बनकर परेशानी में होने की बात कहते हुए कुल ₹10,000/- ट्रांसफर कराकर साइबर ठगी की गयी थी।
- ❖ थाना शिवली पुलिस (साइबर हेल्प डेस्क) द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता के खाते में सम्पूर्ण धनराशि ₹ 10,000/- को वापस कराया गया।

अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध निवारण की दिशा में साइबर क्राइम से सम्बन्धित घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, शिकायतकर्ता आवेदक श्री प्रदीप अवस्थी पुत्र राजेन्द्र अवस्थी निवासी ग्राम मारग मैथा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात के पास साइबर ठग द्वारा रिश्तेदार बनकर फोन करना व आवेदक से परेशानी में होने की बात कहते हुए कुल ₹ 10,000/- की साइबर ठगी की गयी थी। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा दिनांक 11.12.2025 को थाना शिवली(साइबर हेल्प डेस्क), जनपद कानपुर देहात पर गयी थी। जिस पर थाना शिवली (साइबर हेल्प डेस्क) द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता की सम्पूर्ण धनराशि ₹ 10,000/- को दिनांक 20.08.2026 को शिकायतकर्ता के खाते में वापस करा दिया गया है। पुलिस की कार्यवाही से शिकायतकर्ता ने थाना शिवली पुलिस का धन्यवाद दिया।

वापस करायी गयी धनराशि-

₹ 10,000/-

- 1.मोबाइल फोन खोने पर सीईआईआर पोर्टल व संचार साथी एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत दर्ज करें-
<https://www.ceir.gov.in>
- 2.आनलाइन फ्राड खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरंत 1930 पर कॉल करें या
<https://www.cybercrime.gov.in/> पर शिकायत दर्ज करें।

धनराशि वापस कराने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह
2. उ०नि० सोमवीर सिंह
3. कम्प्यूटर आप० अतुल कुमार
4. म०का० 1261 प्रीति सोनकर